संख्या -8/2026/24-35-3-2026

प्रेषक,

दुर्गा प्रसाद,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या प्रभाग,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2026

विषय:- गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में सामान्य गैर वेतन मद (ओएच 31) के अन्तर्गत अवशेष राज्यांश की धनराशि स्वीकृति के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1028/ले0-91/2004(2), दिनांक 25-03-2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा सामान्य मद (ओएच 31) के अन्तर्गत गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ के पक्ष में वर्ष 2023-24, वर्ष 2024-25 व वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कुल केन्द्रांश के सापेक्ष समतुल्य देय अवशेष राज्यांश रू0 1,50,90,000/- की धनराशि के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है, जिसके क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 लेखाशीर्षक- 3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं-800-अन्य व्यय-05-गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के अन्तर्गत रू0 75,00,000/- के प्राविधान के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रतिशत रू0 37,50,000/- का अनुदान शासनादेश संख्या-2/2026/35-3-2026/आई/1240010/2026 दिनांक 18.02.2026 तथा शासनादेश संख्या-4/2026संख्या-4/2026/आई/1280077-35-3-2026 दिनांक 25.03.2026 द्वारा अवशेष 50 प्रतिशत रू0 37,50,000/- का अनुदान अर्थात् कुल रू0 75,00,000/- स्वीकृत किया गया है।

उक्त के क्रम में रू0 75,90,000/- राज्यांश स्वीकृत करने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-40 लेखाशीर्षक "3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-800-अन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

व्यय-05-गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को अनुदान-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्रावधानित धनराशि रू0 2,80,00,000/- के सापेक्ष उपलब्ध बचत रू0 1,24,66,000/- में से रू0 75,90,000/- का पुनर्विनियोग इसी लेखाशीर्षक के अधीन 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में करने की सहमति वित्त विभाग द्वारा अशासकीय संख्या -आर.ई.संख्या बजट-1-775 दिनाँक 28-03-2026 (बी0एम0-9 भाग-1) द्वारा प्रदान की गयी है। पुर्नर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि रू0 75,90,000/- (पचहत्तर लाख नब्बे हजार मात्र) को गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ के पक्ष में भुगतान करने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृत/अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. गिरि विकास अध्ययन संस्थान लखनऊ द्वारा बचत की मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।
2. पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का समर्पण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों के अनुसार उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिस प्रयोजन के लिये पुनर्विनियोग किया जा रहा है।
5. गिरि विकास अध्ययन संस्थान लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्टि प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक निगर्त भारत सरकार के पत्र दिनांक 26.12.2025 का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मद/कार्यों में किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
9. प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।
10. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व गिरि विकास अध्ययन संस्थान लखनऊ का होगा।
11. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
13. अनुदान का भुगतान करने के लिए बिल आहरण हेतु गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ द्वारा बनाया जायेगा एवं उस पर अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।
14. अनुदान के उपयोग के सम्बन्ध में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
15. कोषागार से उतनी ही धनराशि समय-समय पर संस्थान द्वारा आहरित की जाएगी, जिसके भुगतान की तात्कालिक आवश्यकता हो,कोषागार से आहरित की जाने वाली धनराशि की आवश्यकता का आंकलन/ परीक्षण जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत मद में संस्थान के सम्बन्धित बैंक आदि खातों में उपलब्ध धनराशि के आधार पर करते हुए यथा आवश्यक धनराशि के आहरण हेतु बिल प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
16. उपरोक्त अनुदान का कोई भी भाग ऊपर वर्णित मदों के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लाया जायेगा। अवमुक्त की जा रही राज्यांश धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। अनुदान की आगामी किश्त की मांग के समय उपर्युक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराया जायेगा।
17. इस अनुदान पर राजाज्ञा संख्या-ए-2364/दस-17/2(1)/67, दिनांक 20 जुलाई,1971 के संलग्नक में निहित अनुदान के नियम लागू होंगें।
18. उत्तर प्रदेश शासन से स्वीकृत अनुदान के लेखे-जोखे पृथक से रखे जायेंगें तथा उनका निरीक्षण, महालेखाकार, उत्त्र प्रदेश, प्रयागराज की इच्छा अनुसार किसी भी समय किया जा सकेगा तथा परीक्षण राज्य सरकार के नियोजन विभाग के अधिकारियों एवं निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा जब कभी वे चाहेंगें, किया जायेगा।
19. संस्थान को स्वीकृत उक्त अनुदान का उपभोग प्रमाण-पत्र संस्थान द्वारा आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, लखनऊ के माध्यम से महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को समयान्तर्गत भेजा जायेगा। आगामी किश्त की मांग के समय वित्तीय वर्ष 2024-25 के व्यय के आडिटेड ब्यौरों को भी उपलब्ध कराया जायेगा

2. उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के अधीन लेखाशीर्ष "3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-800-अन्य व्यय-05-गिरि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को अनुदान -20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के FINRMS से प्राप्त अशासकीय संख्या- - E-5-315-X-2025-26-दिनांक:30-3-2026 के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(दुर्गा प्रसाद)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव:-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर(आडिटर प्लानिंग)कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम, सत्यनिष्ठ भवन,15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6. उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7. अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ
8. सदस्य-सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद,पोस्ट बाक्स नं0-10580, अरूणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली।
9. निदेशक, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11. नियोजन अनुभाग-1।
12. गार्ड फाइल/स्वीकृत पंजी।

आज्ञा से,

(दुर्गा प्रसाद)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।